राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या – 820/2009/जयपुर.

मैसर्स कोरस इण्डिया लिमिटेड, बनीपार्क, जयपुर. ....अपीलार्थी.

बनाम

1. उपायुक्त (अपील्स), चतुर्थ, वाणिज्यिक कर जयपुर.
2. वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, राज.–2, जयपुर. .....प्रत्यर्थी.

2. अपील संख्या – 1107/2009/जयपुर.

सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, राज.–2, जयपुर. ....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स कोरस इण्डिया लिमिटेड, देवी मार्ग, बनीपार्क, जयपुर. .....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ
श्री मनोहर पुरी, सदस्य
श्री ईश्वरी लाल वर्मा, सदस्य

उपस्थित : :

श्री अलकेश शर्मा, अभिभाषक ....व्यवहारी की ओर से.

श्री एन. के. बैद,
उप–राजकीय अभिभाषक ....विभाग की ओर से.

निर्णय दिनांक : 29/02/2016

निर्णय

1. ये दोनों अपीलें उपायुक्त (अपील्स), चतुर्थ, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील संख्या 76/आर.एस.टी./2001–02/ई में पारित किये गये आदेश दिनांक 23.04.2009 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, राजस्थान, वृत–द्वितीय, जयपुर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) के राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे **'अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 29, 58, 65 के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 07.03.2001 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए, कतिपय निर्देशों के साथ प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया है।

2. अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपील संख्या 820/2009 एवं अपीलार्थी राजस्व द्वारा अपील संख्या 1107/2009 प्रस्तुत की गयी है। दोनों अपीलें एक ही पक्षकार से सम्बन्धित होने तथा अपीलीय अधिकारी के एक ही आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत किये जाने से दोनों अपीलों का निस्तारण एक ही निर्णय से किया जाकर निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक–पृथक रखी जा रही है।

लगातार..............2

3. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी फर्म का सर्वेक्षण दिनांक 06.01.1999 को किया गया। अपीलार्थी द्वारा राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.14/एफडी/टैक्स-डिवी./98-16 दिनांक 09.07.98 की प्रविष्ठि संख्या 45 (All kinds of Paper, Stationery, Greeting/Wedding and other printed cards) की पालना में Corrective Pen, Corrective Fluid Red for Stencil, Feather Touch Stamp Pad, Glue Stick, Eraser Fluid, Roll on Glue, Solar, PVC Clips, Duplicating Ink, Tacky Fingure, Kores Synthetic Gums, Kores Band and Office Paste आदि का विक्रय 4 प्रतिशत की दर से कर वसूल करते हुए विक्रय किया है। कर निर्धारण अधिकारी ने उक्त समस्त माल को सामान्य दर से कर योग्य मानते हुए आलौच्य अवधि वर्ष 1998-99 का कर निर्धारण आदेश दिनांक 07.03.2001 को अधिनियम की धारा 29, 59, 65 के तहत पारित करते हुए कर, ब्याज एवं शास्ति के रूप में रूपये 16,61,988/- का आरोपण किया। व्यवहारी द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी अपील, अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.04.2009 से आंशिक रूप से की गयी, जिसमें Corrective Pen, Corrective Fluid Red for Stencil, Stamp Pad, Eraser Fluid, Kores Synthetic Gums and Office Paste को स्टेशनरी की श्रेणी में माना गया तथा शेष आईटम्स यथा Feather Touch, Glue Stick, Roll on Glue, Solar, PVC Clips, Duplicating Ink, Tacky Fingure and Kores Band की बिक्री पर सामान्य दर से पुनः करारोपण हेतु प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया गया।

4. अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपील संख्या 820/2009 एवं पर अपीलार्थी राजस्व द्वारा अपील संख्या 1107/2009 प्रस्तुत की गयी है।

5. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा बिक्रीत विवादित समस्त वस्तुएं स्टेशनरी की श्रेणी में आती हैं, जिनका अधिकांश उपयोग कार्यालयों/कॉलेज/विद्यालयों में किया जाता है। विद्वान अभिभाषक ने अपने तर्कों के समर्थन में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय; माननीय राजस्थान कर बोर्ड एवं माननीय राजस्व मण्डल के निम्न न्यायिक दृष्टान्त उद्धरित किये गये :-

(1) 41 टैक्स अपडेट 195 (राज.) सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, राज.-I, जयपुर बनाम केमलीन लिमिटेड व अन्य निर्णय दिनांक 09.01.2015

(2) 03 टैक्स अपडेट 339 सहायक आयुक्त, विशेष वृत-द्वितीय, जोधपुर बनाम मैसर्स लोढ़ा ऑफसेट लिमिटेड, जोधपुर निर्णय दिनांक 04.07.2002

लगातार..............3

(3) 04 टैक्स अपडेट 197 वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत—एच, जयपुर बनाम मैसर्स एस. एस. इंटरप्राईजेज, जयपुर निर्णय दिनांक 17.09.2002

(4) 05 टैक्स अपडेट 17 मैसर्स पांचीलाल बच्छराज, सरदारशहर बनाम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत—द्वितीय, जयपुर निर्णय दिनांक 22.11.2002

(5) 07 टैक्स अपडेट 146 वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत—ए, उदयपुर बनाम मैसर्स नाहर एण्ड कम्पनी निर्णय दिनांक 17.09.2003

(6) 12 टैक्स अपडेट 251 वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, राज.—I, जयपुर बनाम मैसर्स लग्जर राईटिंग इन्स्ट्रूमेन्ट्स प्रा0 लि0, जयपुर निर्णय दिनांक 26.05.2005

(7) 18 टैक्स अपडेट 260 सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, राज. वृत—प्रथम बनाम केमलीन लिमिटेड निर्णय दिनांक 05.06.2007

(8) 26 टैक्स अपडेट 302 मैसर्स सांघ्वी एजेंसीज, जयपुर बनाम उपायुक्त (अपील्स), प्रथम, जयपुर व वाणिज्यिक कर अधिकारी (पंजीयन), जयपुर निर्णय दिनांक 22.02.2010

(9) 1979 आर.आर.डी. 418 सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वार्ड—तृतीय, वृत—डी, जयपुर बनाम मैसर्स ज्ञान जनरल स्टोर (राजस्व मण्डल)

(10) 2 टैक्स वर्ल्ड 23 शान्ति भण्डार जयपुर बनाम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वार्ड—तृतीय, वृत—डी, जयपुर (राजस्व मण्डल)

विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि उक्त समस्त न्यायिक दृष्टान्तों में मार्कर, हाईलाईटर, कार्बन पेपर, स्टाम्प पेड, स्टाम्प पेड की स्याही, ईरेजर, गम पेस्ट, पेपर, पेन्सिल, इंक, ब्लैंक बुक्स, लेजर्स, कार्ड फॉर राइटिंग व टाईपिंग, वाटर कलर्स, पेस्टल कलर्स, रबर व फूट रूलर को स्टेशनरी की श्रेणी में माना गया है। अतः अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा बिक्रीत माल (Corrective Pen, Corrective Fluid Red for Stencil, Feather Touch Stamp Pad, Glue Stick, Eraser Fluid, Roll on Glue, Solar, PVC Clips, Duplicating Ink, Tacky Fingure, Kores Synthetic Gums, Kores Band and Office Paste) भी 'स्टेशनरी' की श्रेणी में आते हैं। अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त माल पर सामान्य दर से करारोपण किये जाने में तथा अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलें आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए Feather Touch, Glue Stick, Roll on Glue, Solar, PVC Clips, Duplicating Ink, Tacky Fingure and Kores Band की बिक्री पर सामान्य दर से करारोपण हेतु प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है। उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषक ने अपीलार्थी व्यवहारी की अपील स्वीकार किये जाने तथा राजस्व की अपील अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

लगातार...............4

7. अपीलार्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा बिक्रीत माल स्टेशनरी की श्रेणी में नहीं आने के कारण कर निर्धारण अधिकारी ने इस पर सामान्य दर से करारोपण किये जाने में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने Corrective Pen, Corrective Fluid Red for Stencil, Stamp Pad, Eraser Fluid, Kores Synthetic Gums and Office Paste को स्टेशनरी की श्रेणी में माने जाने में विधिक त्रुटि की गयी है। विद्वान अभिभाषक व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों में पेन, पेन्सिल, इरेजर, कार्बन पेपर, स्टाम्प पेड, स्टाम्प पेड स्याही हाईलाईटर, मार्कर, गम पेस्ट को स्टेशनरी की श्रेणी में माना गया है, जबकि व्यवहारी द्वारा बिक्रीत माल उक्त माल से पूर्णतया भिन्न होने के कारण स्टेशनरी की श्रेणी में नहीं माना जा सकता। उक्त कथन के साथ विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने व्यवहारी की अपील अस्वीकार किये जाने तथा राजस्व की अपील स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

8. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन किया।

9. हस्तगत प्रकरण में व्यवहारी द्वारा बिक्रीत माल यथा Corrective Pen, Corrective Fluid Red for Stencil, Feather Touch Stamp Pad, Glue Stick, Eraser Fluid, Roll on Glue, Solar, PVC Clips, Duplicating Ink, Tacky Fingure, Kores Synthetic Gums, Kores Band and Office Paste निर्विवादित रूप से कार्यालयों, स्कूलों व कॉलेजों में उपयोग में लिया जाता है। उक्त समस्त सामग्री का डेस्क/ऑफिस वर्क से अन्यथा उपयोग कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया है। कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावली एवं आदेश में ऐसा कोई तथ्य/प्रमाण उपलब्ध नहीं है, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि उक्त सामग्री का स्टेशनरी के अतिरिक्त अन्य कोई उपयोग सम्भव हो। विद्वान अभिभाषक व्यवहारी द्वारा उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों में भी लगभग वही सामग्री विवादित थी, जो कि व्यवहारी द्वारा विक्रय की जा रही है तथा माननीय न्यायालयों के उपरोक्त उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों में भी उक्त समस्त सामग्री को 'स्टेशनरी' अवधारित करते हुए, तदनुसार करारोपण योग्य माना गया है। Interpretation of Sales Tax Commodities में Encyclopaedia Britainnica में 'Stationery' को निम्न प्रकार परिभाषित किया गया है :-

> "**E.B. : Stationery** - The word now covers all writing materials and implements together with the numerous appliances of the desk and of mercantile and commercial offices."

लगातार..............5

10. उक्त परिभाषा के अनुसार लेखा सामग्री तथा इनसे सम्बन्धित सारे डेस्क/ऑफिस में काम में आने वाली वस्तुयें 'स्टेशनरी' में शामिल समझी जावेंगी।

11. उक्त समस्त विवेचन के विपरीत ना तो कर निर्धारण अधिकारी द्वारा एवं ना ही दौराने बहस विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा ऐसा कोई न्यायिक दृष्टान्त अथवा तथ्यात्मक साक्ष्य प्रस्तुत किया गया, जिसमें व्यवहारी द्वारा बिक्रीत माल को स्टेशनरी से भिन्न मानते हुए करारोपित किया गया हो। सामान्य विवेक के अनुसार भी हस्तगत प्रकरण में विवादित माल स्टेशनरी से भिन्न होना नहीं पाया जाता है। विवादित माल स्पष्ट रूप से स्टेशनरी की उपरोक्त परिभाषा से कवर्ड होता है। वस्तुओं के नाम में भिन्नता हो सकती है, किन्तु इनका उपयोग निर्विवादित रूप से स्टेशनरी के रूप में ही सम्भव है।

12. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त **41 टैक्स अपडेट 195 (राज.) सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, राज.—I, जयपुर बनाम केमलीन लिमिटेड व अन्य निर्णय दिनांक 09.01.2015** तथा माननीय राजस्थान कर बोर्ड के न्यायिक दृष्टान्त **03 टैक्स अपडेट 339 सहायक आयुक्त, विशेष वृत—द्वितीय, जोधपुर बनाम मैसर्स लोढ़ा ऑफसेट लिमिटेड, जोधपुर; 04 टैक्स अपडेट 197 वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत—एच, जयपुर बनाम मैसर्स एस. एस. इंटरप्राईजेज, जयपुर; 05 टैक्स अपडेट 17 मैसर्स पांचीलाल बच्छराज, सरदारशहर बनाम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत—द्वितीय, जयपुर; 07 टैक्स अपडेट 146 वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत—ए, उदयपुर बनाम मैसर्स नाहर एण्ड कम्पनी; 12 टैक्स अपडेट 251 वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, राज.—I, जयपुर बनाम मैसर्स लग्जर राईटिंग इन्स्ट्रूमेन्ट्स प्रा0 लि0, जयपुर; 18 टैक्स अपडेट 260 सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, राज. वृत—प्रथम बनाम केमलीन लिमिटेड** एवं **26 टैक्स अपडेट 302 मैसर्स सांघ्वी एजेंसीज, जयपुर बनाम उपायुक्त (अपील्स), प्रथम, जयपुर व वाणिज्यिक कर अधिकारी (पंजीयन), जयपुर** में भी यही मत प्रतिपादित किया गया है कि उक्त समस्त सामग्री पर स्टेशनरी पर विहित कर दर अनुसार ही करदेयता है।

13. उपरोक्त विवेचन को दृष्टिगत रखते हुए, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा बिक्रीत माल को स्टेशनरी से भिन्न मानते हुए तदनुसार करारोपण किये जाने में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा त्रुटि की गयी है तथा Feather Touch, Glue Stick, Roll on Glue, Solar, PVC Clips, Duplicating Ink, Tacky Fingure and Kores Band के बिन्दु पर सामान्य दर से करारोपण हेतु प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किये जाने में अपीलीय अधिकारी द्वारा विधिक त्रुटि की गयी है।

लगातार............6

अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.03.2001 अपास्त किया जाता है तथा प्रतिप्रेषण के बिन्दु पर अपीलीय आदेश दिनांक 23.04.2009 अपास्त किया जाता है।

14. परिणामस्वरूप अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 820/2009 स्वीकार की जाती है तथा अपीलार्थी राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 1107/2009 अस्वीकार की जाती है।

15. निर्णय सुनाया गया।

29-2-2016　　28.02.2016

(ईश्वरी लाल वर्मा)
सदस्य

(मनोहर पुरी)
सदस्य